



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 904]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2016/पौष 10, 1938

No. 904]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016/PAUSA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2016

सं. 150/2016-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि.1195(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 11क की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में [जैसाकि वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की चौथी अनुसूची के द्वारा संशोधित किया गया था] और आगे भी संशोधन करती है यथा :-

1. उक्त प्रथम अनुसूची में, -

(1) अध्याय 29 में, शीर्ष 2937 में,-

(i.) टैरिफ मद 2937 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निरसित किया जाएगा ;

(ii.) टैरिफ मद 2937 9011 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "इपिनेफ्राइन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) अध्याय 38 में टैरिफ मद 3824 91 00 के समक्ष;

(i.) कालम (3) में, प्रविष्टि "किग्रा" को अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(ii.) कालम (4) में, प्रविष्टि “10%” को अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(3) अध्याय 44 में, शीर्ष 4421 में, टैरिफ मद 4422 91 12, 4423 91 13, और 4424 91 14 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“ 4421 91 12	--- जूट मशीनरी के लिए	किग्रा	10%	-
4421 91 13	--- सिल्क रिजनेरिड और सिन्थेटिक फाइबर मशीनरी के लिए	किग्रा	10%	-
4421 91 14	--- अन्य मशीनरी के लिए	किग्रा	10%	”;

(4) अध्याय 55 में, शीर्ष 5502 के स्थान पर, उपशीर्ष 5502 00, टैरिफ मद 5502 00 10 से 5502 00 90 तक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“5502 कृत्रिम फिलामेंट टो

5502 10	-- सेलुलोस एसिटेट का			
5502 10 10	--- विस्कोस रेयान टो	किग्रा.	10%	-
5502 10 90	--- अन्य	किग्रा.	10%	-
5502 90	-- अन्य;			
5502 90 10	--- विस्कोस रेयान टो	किग्रा.	10%	-
5502 90 90	--- अन्य	किग्रा.	10%	”;

(5) अध्याय 94 में, शीर्ष 9403 में, टैरिफ मद 9401 82 00 और 9401 83 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“ 9403 82 00	-- बांस का	यू	10%	-
9403 83 00	-- रट्टन का	यू	10%	”

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 528/01/2016- एसटीओ (टीयू)  
जुबेर रियाज, निदेशक(सीमा शुल्क)

नोट :- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में पहला संशोधन सा.का.नि. 783-805 (अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2006, किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 109/2008-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 24 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. 678 (अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2008 के द्वारा किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2016

**No. 150/2016-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 1195(E).** — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 [as amended by the Fourth Schedule of the Finance Act, (28 of 2016)] namely:-

1. In the said First Schedule,-

(1) In Chapter 29, in heading 2937,-

- (i) tariff items 2937 31 00 and the entries relating thereto shall be omitted,  
(ii) against tariff item 2937 90 11, for the entry in column (2) , the entry “Epinephrine” shall be substituted;

(2) In Chapter 38, against tariff item 3824 91 00,-

- (i) In column (3), the entry “kg” shall be inserted;  
(ii) In column (4) , the entry “10%” shall be inserted;

(3) In Chapter 44 , in heading 4421,

for tariff items 4422 91 12, 4423 91 13, and 4424 91 14 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

“ 4421 91 12	- - - - For jute machinery	kg.	10%	-
4421 91 13	- - - - For silk regenerated and synthetic fibre machinery	kg.	10%	-
4421 91 14	- - - - For other machinery	Kg.	10%	-”;

(4) In Chapter 55, for heading 5502, sub-heading 5502 00, tariff items 5502 00 10 to 5502 00 90 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“ 5502 **ARTIFICIAL FILAMENT TOW**

5502 10	- - Of cellulose acetate	kg.	10%	-
5502 10 10	- - - Viscose rayon tow	kg.	10%	-
5502 10 90	- - - Other	kg.	10%	-
5502 90	-- Other;	kg.	10%	-
5502 90 10	--- Viscose rayon tow	kg.	10%	-
5502 90 90	--- Other	kg.	10%	-”.

(5) in Chapter 94, in heading 9403, for tariff items 9401 82 00, 9401 83 00 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

“ 9403 82 00	- - Of bamboo	u.	10%	-
9403 83 00	- - Of rattan	u.	10%	-”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2017.

[F. No. 528/01/2016-STO(TU)]  
ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

**Note:** The first amendment to the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 was made vide number GSR 783-805 (E) ,dated the 29<sup>th</sup> December 2006 and was last amended by notification no. 109/2008- Cus. (N.T.) ,dated the 24<sup>th</sup> September, 2008 vide number G.S.R. 678(E), dated the 24<sup>th</sup> September, 2008.